हिन्दुस्तान दारुल ह़रब या दारुल इस्लाम ?

अ़ब्दे मुस्तफ़ा
मुह़म्मद साबिर क़ादिरी

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

हिन्दुस्तान

दारूल ह़रब या दारूल इस्लाम

अ़ब्दे मुस्तफ़ा
मुहम्मद साबिर क़ादिरी

नाशिर
साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन

फ़ेहरिस्त

किसी भी उन्वान पर क्लिक करें और मुतल्लिक़ा सफ़्हे पर जाएं।

मुल्के हिन्दुस्तान दारुल ह़रब है या दारुल इस्लाम? इस के बयान में हम ने कई ज़ुलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ को इस रिसाले में जमा किया है। सब से पहले हम इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह के एक रिसाले को इख़्तिसार के साथ नक़्ल करेंगे जो आप रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह ने खास इसी मौज़ू पर लिखा था कि "हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है" और अ़रबी में इसे नाम दिया "इलामुल आलाम बी अन्ना हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम" ये रिसाला फ़तावा रज़विय्या की चौदवी जिल्द में मौजूद है।

इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत

इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह से सवाल किया गया कि हिन्दुस्तान दारुल ह़रब है या दारुल इस्लाम?
जवाब में आप तह़रीर फ़रमाते हैं कि:

हमारे इमामे आज़म रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु बल्कि ज़ुलमा -ए- सलासा रह़ीमहुमुल्लाहु तआ़ला अ़लैहिम के मज़हब पर हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है कि दारुल ह़रब हो जाने में जो तीन बातें हमारे इमामे आज़म इमामुल अइम्मा रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नज़्दीक दरकार हैं उन में से एक ये है कि वहाँ अह़कामे शिर्क ऐलानिया जारी हों और शरीअ़ते इस्लाम के अह़काम व शिआ़र मुतलक़न जारी ना होने पाएँ और साहिबैन के नज़दीक इसी क़दर काफ़ी है मगर ये बात बिहमदिल्लाह यहाँ (हिन्दुस्तान में) क़त्अन मौजूद नहीं। अहले इस्लाम जुम्आ़ व ईदैन व अज़ानो इक़ामत व नमाज़े बा जमाअ़त वग़ैरहा शिआ़रे शरीअ़त बग़ैर मुज़ाहिमत अलल ऐलन अदा करते हैं। फ़राइज़, निकाह, रिदअ़, तलाक़, इद्दत, रुजअ़त, महर, खुला, नफ़क़ात, हज़ानत, नसब, हिबा, वक़्फ़, वसीय्यत, शिफ़ा वग़ैरहा बहुत मुआ़मलाते मुस्लिमीन हमारी शरीअ़त की बिना पर फैसल होते हैं कि इन उमूर में हज़राते ज़ुलमा से फ़तवा लेना और उसी पर अ़मल व हुक्म करना हुक्कामे अंग्रेज़ी को भी ज़रूर होता है अगर्चे हिनूद व मजूसी व नसारा हो और बिह़म्दिल्लाह ये भी इस शरीअ़त की शौकत है कि मुख़ालिफ़ीन को भी अपनी तस्लीम इत्तिबा पर मजबूर फ़रमाती है। बिह़म्दिल्लाह रब्बिल आ़लमीन

फ़तावा आ़लमगीरी में है:

اعلم ان دارالحرب تصیر دار الاسلام بشرط واحد و هو اظهار حکم الاسلام فیها

(فتاوی ہندیہ کتاب السیر الباب الخامس فی استیلاء الکفار نورانی کتب خانہ پشاور ۲/۲۳۲)

जान लो कि बेशक दारुल ह़रब एक ही शर्त से दारुल इस्लाम बन जाता है वो ये है कि वहाँ इस्लाम का हुक्म ग़ालिब हो जाए।

इसी में नक़्ल किया गया है कि:

انما تصیردار الاسلام دارالحرب عندابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ بشروط ثلاثة، احدها اجراء احکام الکفار علی سبیل الاشتهار وان لایحکم فیها بحکم الاسلام، ثم قال و صورة المسئلة ثلاثة اوجه اما ان یغلب اھل الحرب علی دار من دورنا او ارتد اھل مصر غلبوا واجروا احکام الکفر اونقض اھل الذمة العھد وتغلبوا علی دارھم ففی کل من ھذہ الصور لاتصیر دارحرب الابثلاثة شروط، وقال ابویوسف و محمد رحمھما الله تعالیٰ بشرط واحد و ھواظھار احکام الکفر و ھوالقیاس الخ

(فتاوی ہندیہ کتاب السیر الباب الخامس فی استیلاء الکفار نورانی کتب خانہ پشاور ۲/۲۳۲)

इमाम अबू ह़नीफ़ा रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह के नज़दीक दारुल इस्लाम तीन शराइत से दारुल ह़रब होता है जिन में एक ये कि वहाँ कुफ़्फ़ार के अह़काम ऐलानिया जारी किए जाएँ और वहाँ इस्लाम का कोई हुक्म नाफ़िज़ ना किया जाए, फ़िर फ़रमाया और मसअला की सूरत तीन तरह है, अहले ह़रब हमारे इलाक़े पर ग़लबा पा लें या हमारे किसी इलाक़े के शहरी मुर्तद हो कर वहाँ ग़लबा पा लें और कुफ्र के अहकाम जारी कर दें या वहाँ ज़िम्मी लोग अहद को तोड़ कर ग़लबा हासिल कर लें, तो इन तमाम सूरतों में वो इलाक़ा तीन शर्तों से दारुल ह़रब बन जाएगा वो ये कि अह़कामे कुफ्र ऐलानिया ग़ालिब कर दिए जाएँ। यही क़ियास है अलख

दुररगुरर मुल्ला खुसरो में है:

دارالحرب تصیردارالاسلام باجراء احکام الاسلام فیھا کاقامة الجمعة والاعیادوان بقی فیھا کافر اصلی ولم یتصل بدارالاسلام بان کان بینھا وبین دارالاسلام مصر اٰخر لاھل الحرب الخ

(درر غرر کتاب الجہاد باب المستامن مطبع احمد کامل مصر ۱/۲۹۵)

ھذا لفظ العلامة خسرو واثرہ شیخی زادہ فی مجمع الانھر، وتبعه المولی الغزی فی التنویر، واقرہ المدقق العلائی فی الدر، ثم الطحطاوی و الشامی اقتدیا فی الحاشیتین.

दारुल ह़रब इस्लामी अह़काम जारी करने मस्लन जुमुआ़ और ईदैन वहाँ अदा करने पर दारुल इस्लाम बन जाता है अगर वहाँ कोई अस्ली काफ़िर भी मौजूद हो और उसका दारुल इस्लाम से इत्तिसाल भी ना हो यूँ कि उसके और दारुल इस्लाम के दरमियान कोई दूसरा हरबी शहर फ़ासिल हो अलख, ये अ़ल्लामा खुसरो के अल्फ़ाज़ हैं। (और तहतावी, शामी वग़ैरह में इस की इक़्तिदा की गई है)

जमीउ़ल फुसूलैन से नक़्ल किया गया:

له ان ھذہ البلدة صارت دارالاسلام باجراء احکام الاسلام فیھا فما بقی شیئ من احکام دارالاسلام فیھا تبقی دارالاسلام علی ماعرف ان الحکم اذاثبت بعلة فما بقی شیئ من العلة یبقی الحکم ببقائه، ھکذاذکر شیخ الاسلام ابوبکر فی شرح سیر الاصل انتھی

(جامع الفصولین الفصل الاول القضاء اسلامی کتب خانہ کراچی ص ۱۲)

इमाम साहब के हां दारुल ह़रब का इलाक़ा इस्लामी अह़काम वहां जारी करने से दारुल इस्लाम बन जाता है तो जब तक वहाँ इस्लामी अह़काम बाक़ी रहेंगे वो इलाक़ा दारुल इस्लाम रहेगा, ये सब इस लिए कि हुक्म जब किसी इल्लत पर मबनी हो तो जब तक इल्लत में से कुछ पाया जाए तो इस की बक़ा से हुक्म भी बाक़ी रहता है जैसा कि मअ़रूफ़ है। अबू बकर शैख़ुल इस्लाम ने असल (मबसूत) के सैर के बाब की शरह में यूँ ही ज़िक्र फ़रमाया है।

وعن الفصول العمادية ان دارالاسلام لایصیر دارالحرب اذابقی شیئ من احکام الاسلام وان زال غلبة اهل الاسلام وعن منثور الامام ناصرالدین دارالاسلام انما صارت دارالاسلام باجراء الاحکام فمابقیت علقة من علائق الاسلام یترجح جانب الاسلام (الفصول العمادیة)

وعن البرهان شرح مواهب الرحمٰن لایصیر دارالحرب مادام فیه شیئ منها بخلاف دارالاسلام لانارجحنا اعلام الاسلام و احکام اعلام کلمة الاسلام

(البرهان رح مواهب الرحمان)

وعن الدر المنتقٰی لصاحب الدر المختار دارالحرب تصیر دارالاسلام باجراء بعض احکام الاسلام

(بیروت ۱/۲۳۴ الدر المنتقی علی بامش مجمع الانهر کتاب السیر داراحیاء التراث العربی)

फ़ुसूले अम्मादिया से मंक़ूल है कि दारुल इस्लाम जब तक वहाँ अह़कामे इस्लाम बाक़ी रहेंगे तो वो दारुल ह़रब ना बनेगा अगर्चे वहाँ अहले इस्लाम का ग़लबा खतम हो जाए, इमाम नसीरुद्दीन की मंसूर से मंक़ूल है कि दारुल इस्लाम सिर्फ इस्लामी अह़काम करने से बनता है तो जब तक वहाँ इस्लाम के मुतअ़ल्लिक़ात बाक़ी हैं तो वहाँ इस्लाम के पहलू को तरजीह होगी। और बरहाने शरह मवाहिबुर रहमान से मंक़ूल है कोई इलाक़ा उस वक़्त तक दारुल ह़रब ना बनेगा जब तक वहाँ कुछ इस्लामी अह़काम बाक़ी हैं, क्योंकि इस्लामी निशानात को और कलिमा -ए- इस्लाम के निशानात के अह़काम को हम तरजीह देंगे, दारुल इस्लाम का हुक्म उस में खिलाफ है। साहिबे दुर्रे मुख्तार की अल मंतक़ा से मंक़ूल है कि दारुल ह़रब में बाज़ इस्लामी अह़काम के नाफ़िज़ से दारुल इस्लाम बन जाता है।

शरहे निक़ाया में है:

لاخلاف ان دارالحرب تصیر دارالاسلام باجراء بعض احکام الاسلام فیها

(مکتبہ اسلامیہ گنبد قاموس ایران ۲/۵۵۶ جامع الرموز کتاب الجهاد)

बिला इख़्तिलाफ़ दारुल ह़रब वहाँ बाज़ इस्लामी अह़काम के नाफ़िज़ से वो दारुल इस्लाम बन जाता है।

और इसी में है:

وقال شیخ الاسلام والامام الاسبیجابی ای الدار محکومة بدارالاسلام ببقاء حکم واحد فیها کما فی العمادی وغیره

(جامع الرموز کتاب الجهاد مکتبہ اسلامیہ گنبد قاموس ایران ۲/۵۵۷)

शेखुल इस्लाम और इमाम अस्बीजाबी ने फ़रमाया : किसी भी इलाक़े में कोई एक इस्लामी हुक्म भी बाकी हो तो उस इलाक़े को दारुल इस्लाम कहा जाएगा, जैसा कि अम्मादिया वग़ैरह में है।

फिर अपने बिलाद और वहाँ के फ़ितन वा फ़साद की निस्बत फ़रमाते हैं :

فالاحتياط يجعل هذه البلاد دارالاسلام والمسلمين وان كانت للملاعين واليد فى الظاهر لهؤلاء الشيطين ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظلمين ونجنا برحمتك من القوم الكفرين كما فى المستصفى وغيره

(جامع الرموز كتاب الجهاد مكتبه اسلاميه گنبد قاموس ايران ٢/٥٥٧)

एहतियात यही है कि ये इलाक़ा दारुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़रार दिया जाए, अगर्चे वहाँ ज़ाहिरी तौर पर शैतानों का क़ब्ज़ा है, ऐ हमारे रब! हमें ज़ालिमो के लिए फितना ना बना और अपनी रहमत से हमे काफिरों से नजात अता फरमा, जैसा के मुस्तस्फ़ी वग़ैरह में है।

मज़कूरा हवाला जात के अलावा इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत ने फिक़्हे हनफ़ी की रौशनी में तफ़सील से कलाम फरमाया है और ये साबित किया है कि हिन्दुस्तान दारुल ह़रब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम है। हम ने यहाँ मुकम्मल रिसाला नक़्ल ना कर के बस शुरू का एक हिसा नक़्ल करने पर इक्तिफ़ा किया है, मज़ीद तफ़सील के लिए रिसाला "इलामुल आलाम बि अन्ना हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम" का मुताला फ़रमाएँ।

अब हम मज़ीद उलमा-ए-अहले सुन्नत की इस हवाला से तहक़ीक़ात पेश करेंगे।

फ़तावा मुफ़्ती-ए-आज़मे हिंद में

फ़तावा मुफ़्ती-ए-आज़मे हिंद में एक सवाल इस तरह है, बाज़ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान दारुल ह़रब है दारूल इस्लाम नहीं लिहाज़ा यहाँ जुम्अ़ा अदा नहीं होता है ज़ुहर पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा ही हुक्म शरीअ़त शरीफ में है?

जवाब में लिखते हैं कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल ह़रब नहीं, यहाँ जुम्अ़ा शरीफ शहर व क़ज़ाबात में फ़र्ज़ है, गाँव में जुम्अ़ा वा ईदैन की नमाज़ नहीं हो सकती है कि जुम्अ़ा वा ईदैन के लिए मिस्र ज़रूरी है।

सदरुश्शरिया, अ़ल्लामा मुफ़्ती अमजद अ़ली आज़मी

सदरुश्शरिया, अ़ल्लामा मुफ़्ती अमजद अ़ली आज़मी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह लिखते हैं कि सहीह यही है कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है और यही अ़ल्लामा शामी की तहक़ीक़ से साबित होता है, दार की दो क़िस्में हैं : दारुल इस्लाम, दारुल ह़रब, अगर मुसलमान दारुल ह़रब में अमान ले कर जाए तो वही दारुल ह़रब इस मुस्लिम के लिये दारुल अमान है। यूं ही अगर हरबी काफ़िर अमान ले कर दारुल इस्लाम में आया तो उसके लिए यही दारुल अमान है। लिहाज़ा दारुल अमान

जिस को कहा जाता है वो या दारुल इस्लाम है या दारुल ह़रब इन दो के अलावा कोई तीसरी क़िस्म नहीं है।

(फ़तावा अमजदिया, जिल्द 4, सफ़हा 200)

मलिकुल उ़लमा, अ़ल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी

ख़लीफ़ा -ए- आला हज़रत, मलिकुल उ़लमा, अ़ल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह लिखते हैं:

दारुल इस्लाम उस जगह को कहते हैं जो मुसलमानो के क़ब्ज़े में हो और वहाँ बे दग़दग़ा इस्लामी अह़काम जारी हो जाएँ। दारुल ह़रब ऐसी जगह को कहते हैं कि वहाँ अह़कामे शिर्क ऐलानिया जारी हों और शरीअ़त के अह़काम बिल्कुल ममनूअ़ हो जाएँ। मगर यहाँ (हिन्दुस्तान में) बिफ़दलिल्लाहि तआ़ला हरगिज़ हरगिज़ अह़कामे शरीअ़त की अदाइगी ममनूअ़ नहीं और इक़ामत वा नमाज़े बा जमाअ़त वग़ैरहा शिआ़रे शरीअ़त, बग़ैर मुज़ाहिमत अलल ऐलान अदा करते हैं, फ़राइज़, निकाह, रज़ाअ, तलाक़ वग़ैरह मुआ़मलात मुस्लिमीन हमारी शरीअ़ते बैज़ा की बिना पर फैसल होते हैं कि इन उमूर में हज़राते उ़लमा -ए- किराम से फ़तवा लेना और उस पर हुक्म मुकम्मल करना, हुक्कामे अंग्रेज़ी को भी ज़रूरी होता है अगर हिनूद व मजूसी व नसारा हो।

फ़तावा रज़विय्या में सिराजुल वहाज, इस में हज़रत मुहर्रिरुल मज़हब सीना मुहम्मद रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की ज़ियादत से है:

انما تصیر دار الاسلام دار الحرب عند ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ بشروط ثلاثة، احدها اجراء احکام الکفار علی سبیل الاشتهار وان لا یحکم فیها

بحکم الاسلام، ثم قال و صورة المسئلة ثلاثة اوجه اما ان یغلب اهل الحرب علی دار من دورنا او ارتد اهل مصر غلبوا واجروا احکام الکفر او

نقض اهل الذمة العهد وتغلبوا علی دارهم ففی کل من هذه الصور لا تصیر دار حرب الا بثلاثة شروط

हमारे इमामे आज़म बल्कि उ़लमा -ए- सालसा रह़ीमहुमुल्लाहु के मज़हब पर हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, हरगिज़ हरगिज़ दारुल ह़रब नहीं।

वल्लाहु तआ़ला आलम

(फ़तावा मलिकुल उ़लमा, पेज 222)

फ़तावा दीदारिया

खलीफ़ा -ए- आला हज़रत, हज़रत अ़ल्लामा सैय्यद दीदार अली शाह रह़मतुल्लाह तआ़ला अ़लैह एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि बक़ौल मुख़्तार हिन्दुस्तान दारुल ह़रब नहीं है (यानी दारुल इस्लाम है)

(*) ये सवाल सूद के मुतअ़ल्लिक़ किया गया था। ख्याल रहे कि हरबी काफ़िर से बिना धोका दिए जो ज़ाइद रकम मिलती है मस्लन बैंक और पोस्ट ऑफिस से वो सूद नहीं बल्कि माले मुबाह है और इस में तफ़सील है जिसे आप हमारे रिसाले "काफिर से सूद" में भी पढ़ सकते हैं।

फ़तावा अजमलिया

हज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती अजमल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआ़ला से ये ये सवालात किये गए :

(1) हिन्दुस्तान दारुल ह़रब है या दारुल इस्लाम?

(2) हिन्दुस्तान में जुम्अ़ा फ़र्ज़ है या नहीं?

आप रहमतुल्लाहि अ़लैह लिखते हैं

(1) हमारे इमामे आज़म अबू ह़नीफा, व इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद रहीमहुमुल्लाहु तआ़ला के मज़हब की तसरीहात के बिना पर हरगिज़ हरगिज़ दारुल ह़रब नहीं है बल्कि दारुल इस्लाम है, फ़तावा आ़लमगीरी में है :

اعلم ان دار الحرب تصیر دار الاسلام بشرط... الخ

(عالمگیری، ج2، ص269)

(मज़ीद कई कुतुबे फ़िक़्ह के हवाला देने के बाद आप लिखते हैं कि) इन इबारत से आफ़ताब की तरह रौशन हो गया कि जब हिन्दुस्तान में जुम्अ़ा व ईदैन, अज़ानो इक़ामत, नमाज़ बजमात वग़ैरहा अहकामे इस्लाम अलल ऐलान अदा करते हैं और हिन्दुस्तान को और कोई दारुल ह़रब इहाता नहीं कर रहा है बल्कि दो जानीबैन बिलादल इस्लामिया से मुत्तसिल हैं तो इसे दारुल ह़रब किस तरह क़रार दिया जा सकता है! अब बाक़ी ये शुब्हा के इस में अ़हकामे मुशरिकीन भी जारी हैं तो इस शुब्हे को तहतावी की इबारत ने साफ कर दिया कि जहाँ अ़हकामे मुस्लिमीन और अ़हकामे मुशरिकीन दोनों जारी हों तो वो दारुल ह़रब नहीं लिहाज़ा अब बावजूद उन इबारात के हिन्दुस्तान को दारुल इस्लाम ना कहना अक़्वाले अइम्मा की मुख़ालिफ़त है और तसरीहाते फुक़हा से इंकार है और अपनी अक़्ल व फ़हम की दीन में मुदाख़िलत है, मौला तआला क़ुबूले हक़ की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए।

(2) बिला शुब्हा जुम्आ (हिन्दुस्तान में) फ़र्ज़ है हिन्दुस्तान में अगर्चे कुफ़्फ़ार की हुकूमत है और बादशाहे इस्लाम नहीं लेकिन जुम्अ़ा की सिहत के लिए इस क़द्र काफ़ी है कि मुसलमान जुम्अ़ा व ईदैन क़ाइम करते हैं और एक शख़्स को इमाम मुकर्रर करते हैं, लिहाज़ा हिन्दुस्तान में जुम्अ़ा का फ़र्ज़ होना साबित हुआ और अदा-ए-जुम्आ से नमाज़े ज़ुहर की फ़र्ज़ियत साक़ित हो गई और अब किसी का जुम्अ़ा को नफ़्ल क़रार देना तसरीहाते फ़िक़्ह की मुखालिफ़त और सख़्त नादानी और जिहालत है।

(फ़तावा अजमलिया, जिल्द 2, सफ़हा 328)

फ़तावा शरईया

हज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद फ़ज़ल करीम हमीदी से सुवाल किया गया कि हिन्दुस्तान दारुल ह़रब है या दारुल इस्लाम?

आप रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह जवाब में लिखते हैं : अल्हम्दुलिल्लाह कि हिन्दुस्तान दारूल इस्लाम है।

(फ़तावा शरईया, जिल्द 3, सफ़हा 624)

फ़तावा मसऊ़दी

हज़रत अ़ल्लामा शाह मुहम्मद मसऊ़दी दहेलवी रहीमहल्लाहु तआ़ला लिखते हैं:

बार माहिराने फ़िक़्ह मख़फ़ी ना रहे कि ये मुल्क (हिन्दुस्तान) दारुल ह़रब नहीं है क्योंकि जो मुल्क कि अहले इस्लाम का हो और हम पर कुफ़्फ़ार ग़लबा कर के अपने तहत में कर लें वो दारुल इस्लाम है। दारुल ह़रब (तब) होता है यानी जब कि तीनों शर्तें पाई जाएँ तो दारुल ह़रब होगा और अगर एक भी मअ़दूम होगी (नहीं पाई जाएगी) उस वक्त दारुल ह़रब नहीं होगा।

انما تصیر دار الاسلام دار الحرب عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی بشروط ثلاثہ... الخ (فتاوی عالمگیری)

(1) एक शर्त ये है कि जारी होना क़ानूने कुफ़्फ़ार का बतरीक़ शोहरत और कोई हुक्में शरीअ़त का जारी ना हो अगर कोई भी हुक्म शरीअ़त का जारी रहेगा, दारुल ह़रब ना होगा हालांकि इस दियार में हुक्म शरीअ़त के जारी हैं।

(2) और दूसरी शर्त ये है कि इत्तिसाल उस का किसी दारुल ह़रब दूसरे से ना हो, ये भी बशर्त इस मुल्क में बहुत फ़ासिला होने मुल्क काबुल के मफ़कूद है।

(3) और तीसरी शर्त ये है कि कोई मोमिन या जिम्मी बा अमान साबिक़ ना रहे। ये भी शर्त मफ़कूद है पस मुल्क दारुल ह़रब ना हो।

(देखें फ़तावा मसऊ़दी, पेज 424)

फ़तावा निज़ामिया

अ़ल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद रुकनुद्दीन रहीमहुल्लाहु तआ़ला से हिन्दुस्तान के मुतअ़ल्लिक़ ये सवाल किया गया कि ये दारुल ह़रब है या दारुल इस्लाम?

आप लिखते हैं:

तीन चीज़ों से दारुल इस्लाम दारुल ह़रब बन जाता है (उन तीन चीज़ों का बयान गुज़र चुका है, उन्हें लिखने के बाद आप रहीमहुल्लाहु त'आ़ला ने दुर्रे मुख्तार की इबारत नक़्ल की है, फिर लिखते हैं कि) तमाम हिन्दुस्तान में अहकामे शरई जुम्आ़ व ईदैन वग़ैरह नाफ़िज़ हैं और मुसलमानों को मज़हबी रसूम के अदा करने की कोई मुमानिअ़त नहीं और निकाहो तलाक़ो मीरास के क़ुज़िये (Cases) अदालतों में अहकामे शरई के मुवाफ़िक़ होते हैं और मुसलमानों को फ़राइज़े इस्लाम यानी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात की अदाइगी के मुतअ़ल्लिक़ पूरी आज़ादी हासिल है बल्कि मुआ़मलात यानी बय व शरअ़ व रहन वग़ैरह के मुतअ़ल्लिक़ भी अक्सर क़ानून शरीअ़त के मुवाफ़िक़ है और मुसलमानों के जानो माल की काफ़ी हिफ़ाज़त की जाती है, इसलिये हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल ह़रब नहीं।

(देखें फ़तावा निज़ामिया, जिल्द 1 सफ़हा 322)

फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत

फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत में है कि ये सारे (यूरोपी) बिलाद दारुल ह़रब हैं और दारुल ह़रब में जुम्अ़ा सही नहीं, किसी मुल्क के दारुल इस्लाम होने के लिए बुनियाद शर्त ये है कि उस पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा हो जाए अगर कोई मुल्क ऐसा है जिस पर कभी भी मुसलमानों का क़ब्ज़ा नहीं हुआ तो वो दारुल ह़रब ही रहेगा अगर्चे मुसलमान वहाँ बोदो बाश इख्तियार करें, उन्हें इजाज़त हो कि वो अपने मज़हबी मामूलात जैसे चाहें अदा करें। आला हज़रत इमाम अ़हमद रज़ा कुद्दिसा सिर्रुहू फ़तावा रज़विया ज़िल्द सौम में फरमाते हैं:

"जहाँ सल्तनते इस्लामी कभी ना थी ना अब है वो इस्लामी शहर नहीं हो सकता, ना वहाँ जुम्अ़ा वा ईदैन जाइज़ हों अगर्चे वहाँ के काफ़िर सलातीन शआ़इरे इस्लामिया को ना रोकते हों, अगर्चे वहाँ मसाजिद बा कसरत हों, अज़ानो इक़ामत जमाअ़त अलल ऐलान होती हों, अगर्चे अवाम अपने जहल के बाईस जुम्अ़ा वा ईदैन बिला मुज़ाहिमत अदा करते हों जैसे के रूस, जरमन, फ्रांस, पुर्तगल वग़ैरह अक्सर बल्कि शायद कुल सल्तनतहाए यूरोप का यही हाल है।
(फ़तावा रज़विया, जिल्द 3, सफ़हा 716, रज़ा एकेडमी, मुंबई)

इसी में है : शरह निक़ाया में काफ़ी से है:

دارالإسلام ماری م إمام المسلمين

(फ़तावा रज़विया, जिल्द 3, सफ़हा 716, रज़ा एकेडमी, मुंबई)

इस से ज़ाहिर हो गया है कि हॉलैंड वग़ैरह में जुम्अ़ा वा ईदैन सहीह नहीं इस लिए कि वो दारुल ह़रब हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जुम्अ़ा होता हो वहाँ अवाम को मना ना किया जाए जैसा कि देहात में जुम्अ़ा के बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अ़हमद रज़ा कुद्दिसा सिर्रुहू ने फ़रमाया है। रह गया बूदो बाश का मुआ़मला अगर हुकूमत मुसलमानों को उन के मज़हब के खिलाफ़ किसी काम के करने पर मजबूर नहीं करती, वहाँ मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी हासिल है तो वहाँ मुसलमानों के रहने में कोई हर्ज नहीं जैसा कि हबशा में सहाबा -ए- किराम नीज़ लंका और माला बार में ताबईन ने आकर सुकूनत इख्तियार की और चीन में छटी सदी से मुसलमान रह रहे हैं।

वल्लाहु तआ़ला आलम

[देखें फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत, (फ़तावा अशऱफिया, जिल्द पंजुम) जिल्द 2, सफ़हा 159, फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)]

फ़तावा इदारा शरिया

नेपाल दारुल ह़रब या दारुल इस्लाम

फ़तावा इदारा शरिया में नेपाल के दारुल ह़रब और दारुल इस्लाम होने के मुतअ़ल्लिक़ सवाल किया गया जिस का जवाब दर्ज ज़ेल है :

मौजूद खित्ता नेपाल की दो हैसियतें हैं, एक वो इलाक़ा जो हिन्दुस्तान सरहद से मुत्तसिल है जिसे वहाँ के उर्फ़ में तुरई या मुग़लान बोलते हैं, मुग़लान का इलाक़ा वो इलाक़ा है जो मुग़लिया दौरे हुकुमत में बादशाह अकबर और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के ज़ेरे हुकूमत या ज़ेरे असर रह

चुका है। जब औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिरेहमा के दौरे हुकूमत में हिन्दुस्तान के अंदर अहकामे इस्लामी का नाफ़िज़ हुआ तो नेपाल का तुरई इलाक़ा उस से मुतस्सिर हुए बग़ैर नहीं रह सका इस हैसियत से जो हुक्मे शरअ खित्ता हिन्दुस्तान का होगा वही तुरई नेपाल का भी होगा। और दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार ने इस की वज़ाहत कर दी है कि दारुल इस्लाम उस वक़्त तक दारुल ह़रब नहीं होगा जब तक कि कुफ्र के अहकाम पूरी तरह वहाँ जारी न हो जाएँ और इस्लामी अहकाम कुल्लियतन रोक ना दिए जाएँ और अगर इस्लाम व कुफ्र दोनों के अहकाम जारी हों तो वो दारुल ह़रब नहीं होगा, बिहम्दि तआला इस तारीफ़ की बुनियाद पर हिन्दुस्तान और नेपाल का तुरई इलाक़ा (मुग़लान) दारुल इस्लाम है। नेपाल का दूसरा इलाक़ा वो है जो हिन्दुस्तान के ज़ेरे असर कभी नहीं रहा और न मुसलमानों के क़ब्ज़े में कभी आया और न वहाँ कभी इस्लामी अहकाम जारी हुए लिहाज़ा नेपाल का ये दूसरा इलाक़ा दारुल ह़रब है। हाँ! नेपाल के कुफ्फार बे इम्तियाज़ खित्ता व इलाक़ा सब के सब हरबी हैं। और वहाँ के मुसलमान बाशिंदे मुस्तमिन हैं जैसा कि नेपाल के मलान दौरे हुकूमत की तारीख से पता चलता है कि वहाँ के ग़ैर मुस्लिम वाली हुकूमत ने मुसलमानों को अमान दे कर मुल्क में रहने सहने की इजाज़त दी।

वल्लाहु त'आ़ला आलम

(देखें, फ़तावा इदारा शरिया, जिल्द 3, पेज 580, फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)

अज़हरुल फ़तावा में एक अंग्रेज़ी फ़तवा

Question 1 :

What is a "Darul Harb"?

Question 2 :

Is the Republic of South Africa a "Darul Harb"?
7th Muharram 1412 A.H. 20 July 1991
Mr. Haroon Tar Ladysmith Natal South Africa

THE ANSWER

1: "Darul Harb" is a non-Muslim country.

2: It is, therefore, true on the Republic of South Africa as it is a non- Muslim country from the very beginning. Hence, this technical term is applicable on every non-Muslim country as well as South Africa. It is historically proven that South Africa was never
under the Islamic rule so the basic condition of it being a Darul Islam is not applicable.
Hence, it is a Darul Harb and it is clear and needs no explanation.
If, for example, it was a Darul Islam long ago and afterwards the Islamic government
came to an end and a non-Muslim government came into place and the non-Islamic
ordinance was issued throughout the country so that no one could enjoy the previous
peace and the country was adjoined with the non-Muslim countries in every respect. In
such a case, too, it becomes a Darul Harb.
Following this is a categorical injunction from Islamic Jurisprudence.
The great Muslim theologians, Hadrat Allama Qaazi and Hadrat Ala'uddin Haskafi (rahmatullah Ta'ala alaihuma) have stated in their works "Tanweerul-
Absar" and "Durre Mukhtaar", respectively that :

لا تصیر دار الاسلام دار الحرب الا بامور ثلثة... الخ

Suppose that South Africa is still Darul Islam. The very rule of your issue remains. As I have said before, (refer to Fatwa on interest) that the condition for a profit to be considered as interest lies when there is a dealing between a Muslim and a Zimmi Kaffir. On the other hand, if there is a dealing between a Muslim and a Harbi Kaffir, it would not be considered as interest, but as profit and it would be legal for a Muslim despite the fact that the dealing takes place in Darul Islam.

[मुफ़्ती] मुहम्मद अख़्तर रज़ा खान क़ादरी अज़हरी

हासिले कलाम

मज़कूरा बाला हवाला जात की रौशनी में ये मसअला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल ह़रब नहीं। जो इसे दारुल ह़रब कहते हैं तो उन्हें मज़ीद तह़क़ीक़ की ज़रूरत है। अकाबिरीने अहले सुन्नत की इबारात हमने इस रिसाले में नक़्ल करने की सआ़दत हासिल की और ये रिसाला तकमील को पहुँचा, अल्लाह तआ़ला इसे क़ुबूल फरमाए और अहबाबे अहले सुन्नत के लिए मुफ़ीद बनाए।

नोटः

एक मसअला जो इस मसअले से तअ़ल्लुक़ रखता है वोह काफिर से सूद लेने का है। हिन्दुस्तान अगर दारुल इस्लाम है तो क्या यहाँ के कुफ़्फ़ार से सूद लेना जाइज़ होगा? उनसे मिलने वाली इज़ाफ़ी रक़म किस तरह जाइज़ है? बैंक (Bank) और पोस्ट ऑफिस (Post office) से मिलने वाली ज़ाइद रक़म लेना कैसा है? इसके मुतअ़ल्लिक़ उलमा -ए- अहले सुन्नत ने क्या फ़रमाया है? इन सब की तफ़्सील जानने के लिए हमारा रिसाला "काफिर से सूद" मुलाहिज़ा फरमाईए। इस में हमने मुतअ़द्दिद ह़वाला जात पेश किए हैं और इन बातों की तफ़्सील नक़्ल की है।

हिंदी में हमारी दूसरी किताबें

(1) बहारे तहरीर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल (अब तक चौदह हिस्से)

(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(4) इश्क़े मजाज़ी (मुंतख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(6) शबे मेराज गौसे पाक - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक़िया - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(10) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(11) चंद वाक़ियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) - कनीज़े अख़्तर

(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए पर तहक़ीक़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(15) औरत का जनाज़ा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा

(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की जुबानी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(18) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही

(20) इस्लामी तअ़लीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी

(21) मुहर्रम में निकाह - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(22) रिवायतों की तहक़ीक़ (पहला हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(23) रिवायतों की तहक़ीक़ (दूसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(25) एक निकाह ऐसा भी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(26) काफ़िर से सूद - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(27) मैं खान तू अंसारी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(28) रिवायतों की तहक़ीक़ (तीसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(29) जुर्माना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(30) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

(35) ज़न और यक़ीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

(38) क़ुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी

(40) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान

(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी

(42) जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी

(43) तहक़ीक़े इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(45) मंसूर हल्लाज - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(46) फ़र्ज़ी क़ब्रें - अ़ब्दे मुस्तफ़ा

(47) इमाम अबू यूसुफ का दिफा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला

(48) इमाम क़ुरैशी होगा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला

(49) हिन्दुस्तान दारुल हरब या दरुल इस्लाम? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा